

प्रथम अपील संख्या 28/2021

विकास सैनी, एडवोकेट, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू मो0न0 9828872463

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) नवलगढझुंझुनू।

— —


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 01.03.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 17.02.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 28/2021 पर दिनांक 18.02.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) नवलगढ के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/753-754 दिनांक 18.02.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) नवलगढ ने पत्रांक राजस्व/सू0अ0/2020/275 दिनांक 01.03.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री विकास सैनी, एडवोकेट, नवलगढ कोर्ट केम्पस नवलगढ द्वारा आवेदन दिनांक 29.12.2020 में चाही गई सूचना बिन्दू सं0 क्रमशः 1 से 4 तक की सम्पूर्ण सूचना तैयार कर बाद सत्यापन अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/सू0अ0/2020/272 दिनांक 26.02.2021 के द्वारा उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) नवलगढ के पत्रांक राजस्व/सू0अ0/2020/275 दिनांक 01.03.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री विकास सैनी, एडवोकेट, नवलगढ कोर्ट केम्पस नवलगढ द्वारा आवेदन दिनांक 29.12.2020 में चाही गई सूचना बिन्दू सं0 क्रमशः 1 से 4 तक की सम्पूर्ण सूचना तैयार कर बाद सत्यापन अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/सू0अ0/2020/272 दिनांक 26.02.2021 के द्वारा उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 01.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( यू0डी0खान )  
जिला कलक्टर, झुंझुनू  
जिला कलक्टर झुंझुनू